मध्यप्रदेश संचालन (मेयर–इन–काउंसिल / प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम, 1998

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 1998

क्रमांक 59 / अठारह –3 / 98 – मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956) की धारा 37 तथा 73 के साथ पठित धारा 433, तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961 की धारा 70 तथा 110 के साथ पठित धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्.

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका मेयर–इन–काउंसिल / प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य) नियम, 1998 है।

2. ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं– इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(1) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961,

(2) ''नगरपालिका, से अभिप्रेत है, यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अधीन गठित काई नगरपालिका नियम या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत;

(3) ''मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम की स्थिति में नगर पालिक आयुक्त तथा नगरपालिका परिषद् व नगर पंचायत की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी;

(4) ''मेयर–इन–काउंसिल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 37 के अधीन गठित मेयर–इन–काउंसिल;

(5) ''प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 70 के अधीन गठित प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल;

(6) ''प्रभारी सदस्य'' से अभिप्रेत है, यथास्थिति मेयर–इन–काउंसिल या प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल का ऐसा सदस्य जिसे यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष द्वारा नगरपालिका के किसी विभाग या विभागों का प्रभारी बनाया गया हो;

(7) ''विभाग'' से अभिप्रेत है,

(क) नगरपालिक निगम की स्थिति में,–

(एक) आवास, पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग

(दो) जलकार्य विभाग

(तीन) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग

(चार) बाजार विभाग

(पांच) शिक्षा विभाग

(छः) महिला तथा बाल कल्याण विभाग

(सात) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग

(आठ) पुनर्वास तथा नियोजन विभाग

(नौ) राजस्व विभाग

(दस) विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग

(ख) नगरपालिका परिषद् की स्थिति में,–

(एक) आवास, पर्यावरण तथा लोक निर्माण विभाग

(दो) जलकार्य विभाग

(तीन) स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग

(चार) राजस्व तथा बाजार विभाग

(पांच) खाद्य, नागरिक आपूर्ति, पुनर्वास एवं नियोजन विभाग

(छः) शिक्षा, महिला तथा बाल कल्याण विभाग

(सात) विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग

(ग) नगर पंचायत की स्थिति में,–

(एक) आवास, पर्यावरण, लोक निर्माण विभाग एवं जलकार्य विभाग

(दो) खाद्य, नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग

(तीन) राजस्व तथा बाजार विभाग

(चार) शिक्षा, महिला तथा बाल कल्याण विभाग

(पांच) पुनर्वास, नियोजन, विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग

स्पष्टीकरण – इस खंड में वर्णित विभागों के अन्तर्गत कौन–कौन से उप विभाग या शाखाएं रहेंगी और उनमें कौन–कौन से कार्य किये जावेंगे, इसका निर्धारण परिषद् द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से किया जायेगा।

(8) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत का अध्यक्ष;

(9) ''प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है नियम (5) में वर्णित प्राधिकारी;

(10) ''परिषद्'' से अभिप्रेत है नगरपालिक निगम की स्थिति में निगम तथा नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की स्थिति में परिषद्;

(11) ''सचिव'' से अभिप्रेत है मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी द्वारा सचिव के रूप में पदस्थ किया गया अधिकारी;

(12) इन नियमों में प्रयुक्त परन्तु अपरिभाषित शब्दों का वही अर्थ होगा जो उनके लिये अधिनियम में दिया गया है।

3. मेयर–इन–काउंसिल का गठन – (1) प्रत्येक नगरपालिक निगम में मेयर–इन–काउंसिल महापौर और दस सदस्यों में मिलकर बनेगी।

(2) उपनियम (1) में वर्णित सभी दस सदस्य महापौर द्वारा निगम के निर्वाचित पार्षदों में से लिये जावेंगे जिनमें कम से कम दो सदस्य महिला वर्ग से, कम से कम दो सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग से तथा कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से शामिल करना आवश्यक होगा। ये सभी सदस्य महापौर के प्रसाद पर्यन्त ही मेयर–इन–काउंसिल के सदस्य रह सकेंगे।

4. प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल का गठन – (1) प्रत्येक नगरपालिका परिषद् एवं प्रत्येक नगर पंचायत में प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल नगरपालिका परिषद् की स्थिति में अध्यक्ष और सात सदस्यों तथा नगर पंचायत की स्थिति में अध्यक्ष और पांच सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(2) उपनियम (1) में वर्णित नगरपालिका परिषद् में सभी सात सदस्य तथा नगर पंचायत में सभी पांच सदस्य अध्यक्ष द्वारा परिषद् के निर्वाचित पार्षदों में से लिये जावेंगे। जिनमें नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायत प्रत्येक की स्थिति में कम से कम एक सदस्य महिला वर्ग से, कम से कम एक सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग से तथा

कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से शामिल करना आवश्यक होगा। ये सभी सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यन्त ही प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल के सदस्य रह सकेंगे।

5. वित्तीय अधिकार – (1) विभिन्न प्राधिकारियों में निम्नानुसार वित्तीय अधिकार वेष्ठित होंगे –

(एक) नगरपालिक निगम के मामले में –

अ.क.	**प्राधिकारी**	**जनसंख्या**	
		तीन लाख या उससे अधिक	**तीन लाख से कम**
1	**2**	**3**	**4**
1	नगरपालिक आयुक्त	रूपये बीस लाख तक	रूपये चार लाख तक
2	महापौर	रूपये बीस लाख से अधिक किन्तु रूपये पचास लाख से अधिक न हो	रूपये चार लाख से अधिक किन्तु रूपये बीस लाख से अधिक न हो
3	मेयर–इन–कौसिंल	रूपये पचास लाख से अधिक किन्तु रूपये दो करोड़ से अधिक न हो	रूपये बीस लाख से अधिक किन्तु रूपये पचास लाख से अधिक न हो
4	निगम	रूपये दो करोड़ से अधिक	रूपये पचास लाख से अधिक

- परन्तु बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं या डिपाजिट वर्क के मामले में, राज्य सरकार, आदेश द्वारा आयुक्त या मेयर–इन–काउंसिल को ऐसी बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिये, जैसी कि वह उचित समझे, प्राधिकृत कर सकेगी :
- परन्तु यह और कि नगरपालिक निगम की मेयर–इन–काउंसिल तथा नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत की प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल को केन्द्र द्वारा प्रयोजित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, लघु तथा मध्यम शहरों की नगरीय अधोसंरचना विकास स्कीम और एकीकृत आवास एवं गदी बस्ती विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित परियोजनाओं के मामलों में पूर्ण वित्तीय शक्तियां होंगी।

(दो) नगर पालिका परिषद् व नगर पंचायत की स्थिति में, –

अ.क्र.	प्राधिकारी	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
1	**2**	**3**	**4**
1	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	रूपये पचास हजार तक	रूपये पच्चीस हजार तक
2	अध्यक्ष	रूपये पचास हजार से अधिक किन्तु रूपये तीन लाख से अनिधक	रूपये पच्चीस हजार से अधिक किन्तु रूपये एक लाख से अनधिक
3	प्रेसीडेंट–इन–कौंसिल	रूपये तीन लाख से अधिक किन्तु रूपये दस लाख से अनधिक	रूपये एक लाख से अधिक किन्तु रूपये पांच लाख से अनधिक
4	परिषद	रूपये दस लाख से अधिक किन्तु रूपये दो करोड़ से अनधिक	रूपये पांच लाख से अधिक किन्तु रूपये पचास लाख से अनधिक
5	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास	रूपये दो करोड़ से अधिक किन्तु रूपये चार करोड़ से अनधिक	रूपये पचास लाख से अधिक किन्तु रूपये चार करोड़ से अनधिक
6	मध्यप्रदेश शासन	रूपये चार करोड़ से अधिक	रूपये चार करोड़ से अधिक

- (4) उपनियम (1) में मेयर–इन–काउंसिल तथा प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल में वेष्ठित वित्तीय अधिकारों में से कोई भी अधिकार या नियम (9 या 10) में वेष्ठित कोई भी अधिकार यथास्थिति मेयर–इन–काउंसिल या प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल के नियंत्रण के अधीन तथा ऐसे प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अध्यधीन जैसा कि यथास्थिति मेयर–इन–काउंसिल या प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल नियत करे, यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य प्रयोग में ला सकेंगे।

(5) उपनियम (1) में वर्णित वित्तीय अधिकारों का प्रयोग निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन ही किया जायेगा –

(एक) संबंधित कार्य के लिये स्वीकृत बजट में प्रावधान हो और संबंधित बजट मद में राशि उपलब्ध हो।

(दो) नगरपालिक निगम की स्थिति में, तकनीकी तथा अन्य मामलों में सहायता के लिये, किसी अर्हित परामर्शी की सेवाएँ राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की गई अर्हता तथा प्रक्रिया के अध्यधीन रहते हुए ली जा

सकेंगी। नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायत की स्थिति में, तकनीकी स्वीकृति, इन नियमों में विहित की गई रीति में अभिप्राप्त की जाएगी।

(तीन) ऐसे कार्य जो नीति विषयक हों, या पूरे नगर से संबंधित हों, उन पर किये जाने वाले व्यय की कोई भी रकम का परिषद् से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(चार) किसी भी संस्था या यक्ति को कोई अनुदान या पुरस्कार स्वरूप कोई राशि देने (कर्मचारीवृन्द को छोड़कर) के लिये यथास्थिति निगम या परिषद् का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(पांच) किसी भी वार्ड में निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर यथास्थिति संबंधित वार्ड पार्षद (यदि संबंधित वार्ड में पार्षद का पद रिक्त नहीं है)/महापौर/आयुक्त/क्षेत्रीय विधायक/ क्षेत्रीय सांसद की अनुशंसा/सहमति आवश्यक होगी।

(छह) नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायत की स्थिति में, निर्माण कार्य अथवा सामग्री खरीदने के लिये लोक निर्माण विभाग के वर्क मेन्युअल के उपबंधों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाएगी और इस प्रकार प्राप्त निविदाओं पर इन नियमों के अधीन गठित निविदा समिति की सिफारिश अभिप्राप्त की जाएगी।

(सात) जहां एक हजार रुपये से अधिक और (पच्चीस हजार रुपये) से अनधिक व्यय अन्तर्वलित है वहां कम से कम तीन कुटेशन बुलाना आवश्यक होगा और मंजूर करने वाले प्राधिकारी के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि मंजूर की जा रही दर प्रचलित बाजार भाव से अधिक नहीं है :

परन्तु मंजूर करने वाले प्राधिकारी के द्वारा कोई व्यय मंजूर करने के पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि संबंधित व्यय के लिये बजट प्रावधान उपलब्ध हो :

परन्तु यह भी कि बुलाये गये कुटेशन अनुसार स्वीकृत की गई दर संबंधित कार्य तक ही सीमित रहेंगी और उसका उपयोग किसी अन्य कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।

(आठ) नगरपालिक निगम की स्थिति में उन कार्यों की, जो नगरपालिक आयुक्त, महापौर, मेयर–इन–काउंसिल द्वारा अपनी अधिकारिता की सीमा के भीतर मंजूर किए गए हों, और यदि इस प्रकार मंजूर किए गए कार्य पर व्ययों की रकम उनकी मूल अधिकारिता से दस गुने से अधिक हो (उदाहरण के

लिये जब नगर पालिका आयुक्त ने दस लाख रुपये तक के कार्यों की मंजूरी दी हो) तो इसकी जानकारी उसके वरिष्ठ प्राधिकारी को तत्काल दी जाए। इसी प्रकार महापौर तथा मेयर–इन–काउंसिल द्वारा इसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायत की स्थिति में, प्रत्येक प्राधिकारी, उसमें निहित अधिकतम वित्तीय शक्ति के पचास प्रतिशत या उससे अधिक व्यय के पन्द्रह दिन के भीतर जानकारी, अपने वरिष्ठ प्राधिकारी को देगा।

(नौ) यथास्थिति मेयर–इन–काउंसिल या प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल की स्थिति में वित्तीय अधिकारों के प्रयोग से संबंधित सभी मामलों की जानकारी यथास्थिति निगम या परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

(दस) प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय ऐसे समस्त संधारण कार्य के लिए जो इन नियमों से संलग्न उपाबंध में उल्लिखित हैं, वार्षिक निविदाएं आमंत्रित कर सकेगी तथा वे उस वित्तीय वर्ष के लिए विधिमान्य होंगी। पूरे वर्ष के विभिन्न प्रकृति के संधारण कार्यों और उसके लिए सामग्री की आवश्यकता का प्राक्कलन करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से लोक निर्माण विभाग के वर्क्स मैन्युअल के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जा सकेंगी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् निकाय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कार्य आदेश जारी कर सकेगा। विभिन्न प्रवर्ग को नगरीय स्थानीय निकायों के मामले में, प्रत्येक संधारण कार्य की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगीः–

अनुक्रमांक	निकाय के प्रवर्ग	व्यय
1	तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगम की दशा में	5.00 लाख रुपए
2	तीन लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिक निगम की दशा में	2.00 लाख रुपए
3	नगर पालिका परिषद्	1.00 लाख रुपए
4	नगर पंचायत	50,000/–रुपए

(ग्यारह) प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय के लिए, किसी भी कार्य या किसी भी सामग्री के क्रय, जिसका मूल्य पच्चीस रुपये से अधिक हो, के लिए निविदा के प्रकाशन के बारे में प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः—

(क) पच्चीस हजार रुपए से अधिक किन्तु दो लाख रुपए से अनधिक मूल्य की निविदा के लिए यह स्थानीय निकाय के कार्यालय तथा संबंधित शासकीय विभागों के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी।

(ख) दो लाख रुपए से अधिक किन्तु दस लाख रुपए से अनधिक मूल्य की निविदा के लिए पैरा (क) में उल्लेखित प्रक्रिया के अतिरिक्त अधिकतम परिचालन वाले कम से कम एक हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना अपेक्षित होगा।

(ग) दस लाख रुपए तक किन्तु एक करोड़ रुपए से अनधिक मूल्य की निविदा के लिए, उपरोक्त पैरा (क) और (ख) में उपबंधित रीति के अतिरिक्त कम से कम एक राज्य स्तर के तथा जिसका अधिकतम प्रतियों का परिचालन होने वाले एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना अपेक्षित होगा।

(घ) एक करोड़ रुपए तक या अधिक निविदा मूल्य तक के लिए उपरोक्त पैरा (क), (ख) और (ग) में उल्लेखित प्रक्रिया के अतिरिक्त अधिकतम परिचालन वाले कम से कम एक हिन्दी और एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना अपेक्षित होगा।

(ड) दस लाख रुपए से अधिक के प्रत्येक कार्य हेतु (भवन प्रयोजन तथा सामग्री क्रय हेतु) निविदा सूचना राज्य सरकार या स्थानीय निकाय की वेबसाइट पर अंकित (डाउन लोडेड) किया जाना अपेक्षित होगा।

(च) कोई कार्य/सामग्री, क्रय जिसका क्रय मूल्य 2.00 करोड़ से कम हो, के लिए कम से कम 15 दिवस की अवधि तथा कोई कार्य/सामग्री क्रय जिसका क्रय मूल्य 2.00 करोड़ से अधिक हो, के लिए कम से कम 30 दिवस की अवधि की निविदा सूचना जारी करना अनिवार्य होगाः

परन्तु मेयर–इन–काउंसिल/प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल नगरीय स्थानीय निकाय की अत्यावश्यक सेवा विभागों की आकस्मिक आवश्यकताओं के हेतु लिए जाने वाले विशेष कार्यों के लिए कारण बताते हुए निविदा सूचना की अवधि घटाकर क्रमशः 7 दिन तथा 15 दिन कर सकेगी।

5–क. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यवसायियों से 30 प्रतिशत खरीदारी – नगर पालिका द्वारा विभिन्न वस्तुओं की, की जाने वाली खरीदारी में से 30 प्रतिशत खरीदारी मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों में विहित प्रक्रियानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यवसायियों / उद्यमियों / विक्रेताओं / संस्थाओं/उत्पादकों से करना आवश्यक होगा।

6. निविदा समिति.–(1) नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायत की स्थिति में निविदा समिति निम्नानुसार होगी :–

(एक)	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	अध्यक्ष
(दो)	कार्यपालन यंत्री यदि उपलब्ध हो तो, अन्यथा सहायक यंत्री और यदि सहायक यंत्री भी उपलब्ध न हो तब उपयंत्री।	सदस्य
(तीन)	उस विभाग का विभागाध्यक्ष जिससे कि कार्य संबंधित है।	सदस्य सचिव

(2) यदि स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी निविदा समिति की अनुशंसा से सहमत नहीं है तो वह उन कारणों को विस्तृत रूप से लिखित में अभिलिखित करते हुए अपने से वरिष्ठ प्राधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा। परिषद् में मामले में ऐसे आदेश राज्य सरकार से प्राप्त किये जावेंगे।

7. अनुबंध निष्पादित किये जाने की रीति – (1) नगरपालिक निगम की स्थिति में आयुक्त तथा नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा यथास्थिति निगम या परिषद् की ओर से किया गया प्रत्येक अनुबंध इस रूप में किया जायेगा, जो यथास्थिति आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को इस प्रकार आबद्व करे मानो उक्त अनुबंध उनकी ओर से ही किया गया था।

(2) किसी कार्य के निष्पादन या किसी सामग्री या माल के प्रदाय के लिये किया गया प्रत्येक ऐसा अनुबंध, जिसमें दस हजार रूपये से अधिक का व्यय सन्निहित हो, लिखित में होगा और यथास्थिति निगम या परिषद् की सामान्य मुद्रा में मुद्रांकित किया जायेगा :

परन्तु प्रतिबंध यह है कि अनुबंध ऐसे कार्य से संबंधित हो जो यथास्थिति आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी की तुष्टि योग्य पूर्व में ही संपादित किया जा चुका हो, या ऐसी सामग्री या माल के प्रदाय से संबंधित हो, जिसका, प्रदाय यथास्थिति आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी की तुष्टियोग्य पूर्व में किया जा चुका हो अथवा जिसके लिखित निष्पादन की या तो व्यापकतः या विशेष श्रेणी के प्रकरणों में यथास्थिति निगम या परिषद् द्वारा छूट दे दी गई हो, तो यथास्थिति आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी लिखतम के निष्पादन की छूट दे सकेगा :

2(विलोपित)

(3) यथास्थिति आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी जैसी भी स्थिति हो किसी भी अनुबंध के विधिवत् संपादन के लिये समुचित प्रतिभूति की अपेक्षा करेगा :

परन्तु ऐसी प्रतिभूति की राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य के पॉच प्रतिशत से कम नहीं होगी।

8. तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति–. नगरपालिका परिषद् और नगर पंचायत की स्थिति में, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अधीन बनाये गये मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा) नियम, 1971 में विहित रीति के अनुसार कार्रवाई की जायेगी :

परन्तु पचास हजार या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका परिषद् की स्थिति में पचास लाख रूपये से अधिक तथा पचास हजार से कम जन संख्या वाली नगरपालिका परिषदों की स्थिति में तीस लाख रूपये से अधिक और नगर पंचायत की स्थिति में पन्द्रह लाख रूपये से अधिक के मामलों में तकनीकी स्वीकृति संचालक, नगरीय प्रशासन से प्राप्त की जाएगी।

9. मेयर–इन–काउंसिल के अन्य अधिकार एवं कर्तव्य–.मेयर इन कांउसिल द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 या उसके अधीन बनाये गये नियम या उपविधियों द्वारा उसमें वेष्ठित शक्तियों के साथ ही उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में निगम में वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग भी किया जावेगा :–

धारा 57 (1), 61, 62, 71(1), 137 (1), 138, 142 (1), 176 तथा 189ए.

10. प्रेसिडेन्ट– इन– काउंसिल के अन्य अधिकार एवं कर्तव्य.– प्रेसिडेन्ट– इन – काउंसिल द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1961 या उसके अधीन बनाये गये नियम या उपविधियों द्वारा उसमें वेष्ठित शक्तियों के साथ ही उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में परिषद् में वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग भी किया जावेगाः–

धारा 93 (1), 94(1), (2), 121(1), 126, 160, 168(7), 228, 235, 237, 238, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 253(1), (3), 255(1), 261, 262(1),(3), 263, 265, 267, 272, 273, 274, 281,

(10 –क. नियम 3 अथवा नियम 4 के निर्देशों का पालन ने करने पर वैकल्पिक व्यवस्था.– इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी यदि यथास्थिति मेयर–इन–कौंसिल या प्रेसिडेंट –इन–कौंसिल का गठन इन नियमों के यथास्थिति नियम 3 या नियम 4 के प्रावधान के अनुसार नहीं किया जाता है तब ऐसी स्थिति में इन नियमों और अधिनियम में जो भी शक्तियों एवं कर्तव्य यथास्थिति मेयर–इन–कौंसिल या प्रेसीडेंट–इन–कौसिंल में वेष्ठित है, उनसे संबंबित सभी प्रकरणों पर मेयर–इन–काउंसिल के स्थान पर ''नियम'' तथा प्रेसिडेंट–इन–कौंसिल के स्थान पर ''परिषद्'' द्वारा निर्णय किये जावेंगें।

11. कामकाज का संचालन. – (1) प्रत्येक ऐसा प्रकरण जो मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी के क्षेत्राधिकार के ऊपर का हैं, संबंधित विभाग के प्रभारी सदस्य को प्रस्तुत होगा। यदि प्रकरण प्रभारी सदस्य के क्षेत्राधिकार में आता हैं, तब उस पर प्रभारी सदस्य द्वारा निर्णय लेना जायेगा अन्यथा उसे अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, सहित यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जवेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन प्रकरण प्राप्त होने पर याथस्थिति महापौर या अध्यक्ष यदि प्रकरण उसके क्षेत्राधिकार में आता हैं, तब उस पर निर्णय लेगा अन्यथा उसे अपनी टिप्पणी यदि कोई हो, सहित यथास्थिति मेयर–इन–काउंसिल या प्रेसीडेंट–इन काउंसिल की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा और यदि प्रकरण ऐसा है जो यथास्थिति मेयर–इन–काउंसिल या प्रेसीडेंट–इन काउंसिल के क्षेत्राधिकार से भी ऊपर का हैं तब उसे यथास्थिति निगम या परिषद् की बैठक में यथास्थिति मेयर–इन–काउंसिल या प्रेसीडेट–इन काउंसिल के मत सहित प्रस्तुत किया जावेगा।

(3) इस नियम के अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित सुस्पष्ट संक्षेपिका सहित प्रस्तुत किया जावेगा।

12. संकल्प आदेश का कियान्वयन. – (1) नगरपालिका निगम की स्थिति में अध्यक्ष (स्पीकर) तथा नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत की स्थिति में उसका अध्यक्ष परिषद् द्वारा कोई संकल्प पारित करने की तिथि से 7 दिन के भीतर ऐसे संकल्प की प्रति यथास्थिति नगरपालिक आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्रेषित करेगा।

(2) मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी में किसी भी संकल्प या आदेश के क्रियान्वयन संबंधी शक्ति निहित होगी।

(3) मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी के मत में यदि कोई संकल्प या आदेश विधि के विरूद्ध है या जनहित के विरूद्ध है या नगरपालिका के हितों के विरूद्ध है तब यह दर्शाते हुये कि ऐसा संकल्प या आदेश किन कारणों से विधि के विरूद्ध हैं या जनहित के विरूद्ध हैं या नगरपालिका के हितों के विरूद्ध है उसे पुर्नविचार हेतु संबंधित प्राधिकारी को भेजा जायेगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन प्राप्त प्रकरण पर पुनर्विचार के पश्चात् भी संबंधित प्राधिकारी यदि अपने पूर्व के संकल्प या आदेश को ही यथावत् रखता है तब ऐसे प्रकरण को मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी द्वारा परिषद् में प्रस्तुत किया जावेगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन प्रकरण पर यदि परिषद् संकल्प या आदेश को यथावत रखने का निर्णय लेती हे, तब ऐसा प्रकरण मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी द्वारा नगरपालिक निगम की स्थिति में राज्य सरकार को तथा नगरपालिका परिषद् एवं नगरपंचायत की स्थिति में संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजा जावेगा। यथास्थिति राज्य सरकार या संचालक, नगर प्रशासन एवं विकास का आदेश अंतिम होगा और तदनुसार ही मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी द्वारा उस पर कार्रवाई की जावेगी।

(6) मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह संकल्प प्राप्ति के सात दिन के भीतर उपनियम (3),(4) तथा (5) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार कार्रवाई करें।

13. प्रकरणों के निराकरण के लिये समय सीमा. – (1) यथास्थिति मेयर–इन–कौसिल या प्रेसीडेंट –इन–कौंसिल या महापौर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य द्वारा प्रत्येक प्रकरण का निराकरण प्रकरण के प्राप्त होने की तिथि से दस दिन के भीतर किया जावेगा। यदि किसी प्रकरण का इस अवधि में निराकरण नही किया जाता है तब उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे :–

(क) यदि प्रकरण यथास्थिति मेयर–इन–कौंसिल या प्रेसीडेंट –इन–कौंसिल के क्षेत्राधिकार का है तब मुख्य कार्यपालिका अधिकारी द्वारा ऐसे प्रकरण पर, जिस रूप में प्रस्ताव यथास्थिति मेयर–इन–कौंसिल या प्रेसीडेन्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उसी रूप में यह मान लिया जावेगा कि यथास्थिति मेयर–इन–काउंसिल या प्रेसीडेन्ट–इन–कौंसिंल द्वारा ऐसा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है और तदनुसार प्रकरण पर आगामी कार्यवाई की जाएगी।

(ख) यदि प्रकरण यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य के क्षेत्राधिकार का है तब मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा यथास्थिति

महापौर या अध्यक्ष या प्रभारी सदस्य से प्रकरण वापिस लेकर सीधे अपने प्रस्ताव के साथ यदि प्रकरण यथास्थिति मेयर–इन–कौंसिल या प्रेसीडेन्ट–इन–कौंसिल के क्षेत्राधिकार में आता है तब यथास्थिति मेयर–इन–कौंसिल या प्रेसीडेंट–इन–कौंसिल को और यदि यथास्थिति निगम या परिषद् के क्षेत्राधिकार में आता है तब ऐसा प्रकरण अपने प्रस्ताव सहित यथास्थिति निगम या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत यदि प्रकरण परिषद् के समक्ष तीस दिन से भी अधिक समय से लंबित है तब मुख्य कार्यपालिक अधिकारी नगरपालिक निगम की स्थिति में अध्यक्ष (स्पीकर) तथा नगरपालिका एवं नगर पंचायत की स्थिति में उसके अध्यक्ष से परिषद् की विषेष बैंठक आयोजित करने के लिये प्रस्ताव करेगा और यदि यथास्थिति उपरोक्त प्राधिकारी परिषद् की विशेष बैठक आमंत्रित करने **की अनुमति नही देते है तब मुख्य कार्यपालिक अधिकारी को राज्य सरकार की प्रज्ञापना के अधीन परिषद् की बैठक आमंत्रित करने का** अधिकार होगा जिसमें परिषद् द्वारा ऐसे लंबित प्रकरण पर आदेश पारित किये जावगें।

14. विभागाध्यक्ष – नगरपालिका के प्रत्येक विभाग के लिये मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के विभागाध्यक्ष के रूप में नामांकित करेगा।

परंतु मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को एक से अधिक विभागों का विभागाध्यक्ष नामांकित कर सकेगा।

15. मेयर–इन–काउंसिल या प्रेसीडेंट या प्रेसीडेंट –इन–काउंसिल की बैंठक.– (1) यथास्थिति मेयर–इन–काउंसिल या प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल की बैंठक आवश्यकतानुसार कभी भी आयोजित की जा सकेगी :

परन्तु बैठक इस प्रकार से आयोजित की जायेगी जिससे कोई भी प्रकरण दस दिन से अधिक लंबित न रहे।

(2) प्रत्येक बैठक में मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी या उसके द्वारा नामांकित कोई अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा तो बैठक में आवश्यकतानुसार अपने विचार व्यक्त कर सकेगा परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(3) बैठक नगरपालिका भवन में आयोजित की जायेगी और बैठक की तारीख व समय का निर्धारण यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा।

(4) सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक की सूचना जिसमें बैठक का स्थान, दिनांक तथा समय विनिर्दिष्ट हो सभी सदस्यों को बैठक की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व भेजी जावेगीः

परन्तु आकस्मिक परिस्थितियों में एक दिन की पूर्व सूचना पर भी बैठक बुलाई जा सकेगी।

(5) जैसे ही कोई प्रकरण विचारार्थ प्राप्त होता है उसे सचिव द्वारा एक रजिस्टर मे दर्ज किया जायेगा और ऐसे सभी प्रकरणों को बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। यदि कोई प्रकरण बैठक में निराकृत होने से शेष रह जाये तो आगामी बैठक में सामान्यतः उस पर सबसे पहले विचार किया जायेगा।

16. कार्यवृत्त पुस्तिका. — (1) बैठक की कार्यवाई एक पुस्तिका में हिन्दी में लेखबद्ध की जायेगी, जिसकी पुष्टि उसी बैठक में या आगामी बैठक में की जायेगी। कार्यवृत्त पुस्तिका में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होगी :—

(क) उपस्थित सदस्यों कें नाम तथा हस्ताक्षर,

(ख) प्रत्येक प्रकरण में विनिश्चिय,

(ग) कार्यवृत्त पर बैठक के अध्यक्ष तथा सचिव के हस्ताक्षर।

(2) कार्यवृत्त पुस्तिका किसी भी पार्षद् के निरीक्षण के लिये कार्यालयीन समय में निःशुल्क खुली रहेगी।

16—क. शिथिलीकरण. — इन नियमों के किसी भी उपबंध को राज्य सरकार विषेष प्रकरण के रूप में शिथिल कर सकेगी।

16—ख. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम का कियान्वयन.— इन नियमों की कोई भी बाद ''राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रय'' कें अंतर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्यो के संबंध में लागू नहीं होगी। ऐसी सभी निर्माण कार्यो को स्वीकृत करने के अधिकार नगर पालिक निगमों की स्थिति में नगर पालिक निगम आयुक्त तथा नगरपालिका परिषद् की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को रहेंगे :

परन्तु कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति जिला शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष होने के नाते कलेक्टर द्वारा दी जायेगी तथा निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति के संबंध में कलेक्टर द्वारा यथास्थिति लोक निर्माण विभाग अथवा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री अथवा नगरपालिका के समकक्ष तकनीकी अधिकारी जो भी उपलब्ध हो, से प्राप्त कर दी जायेगी।

17. निरसन. — इन नियमों के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व प्रवृत —

(1) मध्यप्रदेश नगरपालिका (स्थायी समिति की शक्तियाँ तथा उसके कामकाज के संचालन हेतु प्रक्रिया नियम, 1997);

(2) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (स्थाई समिति के कामकाज का संचालन) नियम, 1997;

(3) मध्यप्रदेश नगरपालिका (विभागीय समितियों के कर्तव्य, शक्तियाँ तथा उनके कामकाज के संचालन हेतु प्रक्रिया) नियम 1997;

(4) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (प्राधिकारियों के वित्तीय अधिकार तथा अनुबंध) नियम, 1994;

(5) मध्यप्रदेश नगरपालिका (प्राधिकारियों के वित्तीय तथा निविदा आमंत्रित करने की सीमा) नियम, 1994.

तथा इन नियमों के तत्स्थानी अन्य समस्त नियम, उपविधियाँ या आदेश यादि कोई हों, इन नियामों के प्रारंभ होने की तारीख से निरस्त हो जायेगे;

परन्तु इस प्रकार निरसित/नियम/उपविधियाँ या आदेशों में से किसी के भी अधीन की गई कोई भी बात या की गई कोई भी कार्रवाई जब तक कि ऐसी बात या कार्रवाई इन नियामों के उपबंधों से असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन की गई समझी जायेगी।

उपाबंध

नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित कार्यो में संधारण के प्रक्षेत्र में निम्नलिखित कार्य आएंगे :–

1. डब्ल्यू.बी.एम. सडक का पैच कार्य
2. डामरीकरण सड़क पैच कार्य
3. सीमेंट कांक्रीट/रेनफोर्सड सीमेंट कांक्रीट सड़क का संधारण कार्य
4. क्षतिग्रस्त पुल/पुलिया का संधारण कार्य
5. क्षतिग्रस्त नाली का संधारण कार्य
6. भवन कें संधारण कार्य
7. हैण्डपंप संधारण कार्य
8. पाईप लाईन संधारण कार्य
9. विद्युत सामग्री

उपरोक्त मरम्मत कार्य हेतु निम्नलिखित सामग्री उपयोग की जाती है :–

(1) डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का पैच कार्य

(क) क्रेशर स्टोन हस्ट/मुरम

(ख) 90 से 45 एम.एम. मेटल

(ग) 63 से 45 एम.एम. मेटल

(घ) 40 से 22.5 एम.एम. मेटल

(ड़) स्टोन चिप्स बाइंडिंग सामग्री के लिए 6 से 10 एम.एम.

(2) सडक में डामरीकरण तथा पैच कार्य

(क) डामर हाट/कोल्ड

(ख) बी.टी. मेटल 40 एम.एम.

(ग) बी.टी. मेटल 12 से 20 एम.एम.

(घ) बी.टी. मेटल 6 से 10 एम.एम.

(3) सीमेंट कांक्रीट/रेनफोर्सड् सीमेंट कांक्रीट सड़क संधारण कार्य :–

(क) सीमेंट

(ख) रेत

(ग) बी.टी. मेटल 40 एम.एम.

(घ) बी.टी. मेटल 12 से 20 एम.एम.

(ड़) (स्टील राइस) रेनफोर्सडमेन्ट

(4) क्षतिग्रस्त पुल/पुलिया का संधारण कार्य

(क) सीमेंट

(ख) रेत

(ग) बी.टी. मेटल 40 एम.एम. से 20 एम.एम.

(घ) रेनफोर्सडमेन्ट

(ड़) प्रसाधित प्रस्तर (ड्रेस्ड स्टोन)

(5) पार्श्व नाली का संधारण कार्य :–

ईंट की नाली :

(क) ईट

(ख) सीमेंट

(ग) रेत

(घ) फ्लेग स्टोन

(ड़) बी.टी. मेटल 40 एम.एम.

(च) बी.टी. मेटल 12 से 20 एम.एम.

स्टोन नाली :

(क) प्रसाधित प्रस्तर (ड्रेस्ड स्टोन)

(ख) सीमेंट

(ग) रेत

(घ) फ्लेग स्टोन

(ड़) बी.टी. मेटल 40 एम.एम.

(च) बी.टी. मेटल 12 से 20 एम.एम.

आर.सी.सी. नाली :

(क) सीमेंट

(ख) रेत

(ग) बी.टी. मेटल 40 एम.एम.

(घ) बी.टी. मेटल 12 से 20 एम.एम.

(ड़) रेनफोर्समेन्ट

हॉफ राउण्ड नाली :

(क) सीमेंट

(ख) रेत

(ग) बी.टी. मेटल 40 एम.एम.

(घ) बी.टी. मेटल 12 से 20 एम.एम.

(ड़) आर.सी.सी. हॉ राउण्ड पाईप

व्ही शेप नालीः

(क) सीमेंट

(ख) रेत

(ग) बी.टी. मेटल 40 एम.एम.

(घ) बी.टी. मेटल 12 से 20 एम.एम.

(ड़) फ्लेग स्टोन

(6) भवन में संधारण कार्य :

(क) सीमेंट

(ख) ईट

(ग) प्रसाधित प्रस्तर (ड्रेस्ट स्टोन)

(घ) रेत

.(ड़) बी.टी. मेटल 40 एम.एम.

(च) बी.टी. मेटल 12 से 20 एम.एम.

(छ) बी.टी. मेटल 6 से 10 एम.एम.

(ज़) फ्लेग स्टोन

(झ) सेनेटरी फिटिंग्स–' डब्ल्यू.सी. शीट, टी. बेंड, प्लग, नल की टोंटी

(ञ) वाटर सप्लाई – जी.आई.पाईप टी बैण्ड, प्लग, नल की टोंटी, बल्व आदि

(ट) वाटर प्रूफिंग – डामर, टारफेल्ट शीट, लकड़ी आदि

(ठ) चूना, डिस्टेम्पर, स्नोसम कलरवाश, पेंट आदि

(ड़) बिजली की फिटिंग– फैन, रेग्युलेटर, होल्डर, स्वीच, तार, बल्ब आदि

(ढ) दरवाजे एवं खिड़की के लिए लकड़ी हेंडल एलड्राप, कब्जा आदि

(ण) स्टील के दरवाजे, ग्रील आदि

(7) हैण्डपम्प संधारण कार्य :

(क) सिलेण्डर

(ख) जी.आई पाईप 32 एम.एम. एवं जी.आई. पाईप फिटिंग

(ग) चेन

(घ) लिंग रॉड

(ङ) सिलेण्डर वाल्व

(च) वाशर

(छ) हैंडल, नटबोल्ट, चाबी आदि

(ज़) टॉप कवर

(झ) पेडिस्टल

(8) पाईप संधारण कार्य :

(क) जी.आई. पाईप तथा जी.आई. पाईप फिटिंग्स

(ख) ए.सी. प्रेशर पाईप तथा ए.सी. प्रेशर पाईप फिटिंग्स

(ग) पी.व्ही.सी. पाईप तथा पी.व्ही.सी. पाईप फिटिंग्स

(घ) सी.आई. पाईप तथा सी.आई. पाईप फिटिंग्स

(ङ) कोई अन्य पाईप तथा उसकी फिटिंग्स

(9) विद्युत सामग्री कार्य :

(क) ट्यूब लाईट – फिक्चर

(ख) सोडियम लैम्प– फिक्चर

(ग) मरकरी लैम्प – फिक्चर

(घ) हेलोजन लैम्प – फिक्चर

(ङ) अन्य सामग्री – स्वीच, पंखे, रेगूलेटर, होल्डर, स्वीच, वायर, बल्व आदि ।